U.P. GOVERNMENT
PROTOCOL

संख्या-9/2523प्रो0/51-2014-04(06)/2014

प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर, 2014

विषय: प्रदेश में पधारने वाले अति विशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों के प्रति प्रोटोकाल के अन्तर्गत शिष्टाचार व सौजन्य प्रदर्शन।

महोदय,

प्रदेश में पधारने वाले अति विशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों को प्रोटोकाल प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में उ.प्र. राज्य अतिथि नियमावली,2011 प्रख्यापित है जिसमें निहित प्राविधानों के अनुसार आगन्तुक महानुभावों को राज्य आतिथ्य प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके प्रदेश आगमन पर अन्य व्यवस्थाओं के अलावा उनके प्रति शिष्टाचार व सौजन्य प्रदर्शन करने की भी व्यवस्था अपरिहार्य है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश में पधारने वाले महानुभावों के प्रति शिष्टाचार, सौजन्य प्रदर्शन एवं सुरक्षा व्यवस्था का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। उनके स्वागत, विदाई में लापरवाही बरती जा रही है। यह स्थिति प्रदेश की छवि पर विपरीत प्रभाव डाल रही है, जो उचित नहीं है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में पधारने वाले अति विशिष्ट/विशिष्ट महानुभाव के आगमन पर प्रोटोकाल के अन्तर्गत उनके प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्य प्रदर्शन का पालन अवश्य किया जाए तथा उनके सुरक्षा व्यवस्था में भी शिथिलता कदापि न बरती जाए।

3- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

भवदीय

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in